

२०२१/६१५

प्रशासन गांवों के संग अभियान २०२१

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला-जोधपुर

प्रशासन गांवों के संग अभियान- २०२१ कैम्प-२०१९

क्रमांक:- प्र.गां.के.सं.अ./२०२१/१५२९

दिनांक:- २६/११/२१

प्रेषित:- तहसीलदार भोपालगढ़
जिला जोधपुर

विषय:- DILRMP के तहत की गयी गलत तरमीम दुरुस्ती करने बाबत। (एलआर एक्ट की धारा १३१.१३६ के तहत)

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम २०१९ पटवार हल्का २०१९
के खाता संख्या ७९७ जिसके खसरा नं. १२९२/१ रकबा ०.८०९५४०
किस्म तारान/III की तरमीम दुरुस्ती के तहत प्राप्त प्रार्थी के आवेदन पत्र,
पटवारी २०१९ भू अभिलेख निरीक्षक पारसी खोवाका की जांच रिपोर्ट एवं
तहसीलदार भोपालगढ़ की स्पष्ट अनुशंसा के आधार एवं राजस्व रेकर्ड के अनुसार संलग्न नजरी नक्शा
अनुसार खसरा नक्शा भूमि में तरमीम दुरुस्ती की स्वीकृति दी जाती है एवं तहसीलदार भोपालगढ़ को
आदेशित किया जाता है कि तरमीम दुरुस्ती अनुसार नक्शे में इन्द्राज करे।

नोट:- पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा एवं तहसीलदार भोपालगढ़ की
अनुशंसा रिपोर्ट इस निर्णय का भाग रहेगा।



हवाई सिंह यादव
२६/११/२१

(हवाई सिंह यादव)

प्रभारी अधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़)

प्रशासन गांवों के संग अभियान २०२१

क्रमांक:- सम/१५२०

दिनांक:- २६/११/२१

प्रतिलिपि:-

१. प्रार्थी श्री श्रीधराम को सूचनार्थ।

हवाई सिंह यादव
२६/११/२१

(हवाई सिंह यादव)

प्रभारी अधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़)

प्रशासन गांवों के संग अभियान २०२१

Received
Muz

